



**HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN AT
JODHPUR**

D.B. Spl. Appl. Writ No. 707/2023

Harish Chandra Bunkar Balai son of Shri Ratan Lal Balai, aged about 47 years, Village Semalia, Post and Tehsil Gadi, District Banswara.

----Appellant

Versus

1. Board of Revenue Ajmer, through its Registrar, Ajmer.
2. District Collector, Banswara.
3. Divisional Commissioner, Udaipur.

----Respondents

For Appellant(s) : Mr. Moti Singh
For Respondent(s) : Mr. Ravindra Jala for
Mr. S.S. Ladrecha, AAG

**HON'BLE MR. JUSTICE SHREE CHANDRASHEKHAR
HON'BLE MS. JUSTICE REKHA BORANA**

Order

18/10/2024

Per, Rekha Borana, J:

1. The present special appeal has been preferred against the judgment dated 24th May 2023 passed by the learned Single Judge in S.B. Civil Writ Petition No.1976 of 2015. By virtue of the writ Court's this order, the sanction for prosecution granted vide order dated 28th January 2015 by the Collector, Banswara against the appellant stood affirmed and the writ petition preferred by the petitioner/appellant was dismissed.
2. The main plea raised on behalf of the appellant before this Court is that the sanctioning/competent authority did not apply his independent mind while granting the prosecution sanction.



3. Learned counsel for the appellant submits that the order dated 28th January 2015 is just a verbatim copy of draft prosecution submitted by the Anti Corruption Bureau to the Collector which clearly reflects that the Collector did not apply his mind and just passed the order dated 28th January 2015 in a cyclostyled manner. In support of his submission, learned counsel relied upon the judgments of the Hon'ble Apex Court in *Mansukhlal Vithaldas Chauhan Vs. State of Gujarat, 1997 (7) SCC 622, State of Karnataka Vs. Ameer Jan, (2007) 11 SCC 273 and State of Madhya Pradesh Vs. Pradeep Kumar Gupta, (2011) 6 SCC 389* and of this Court in *Satyanarayan Verma Vs. State of Rajasthan & Ors, S.B. Civil Writ Petition No.268 of 2019 (decided on 28th July 2023)* and *Babu Lal Vishnoi Vs. Rajasthan Cooperative Dairy Federation Limited & Ors., S.B. Civil Writ Petition No.2072 of 2018 (decided on 19th October 2022)*.

4. Per contra, learned Additional Advocate General submitted that the learned Single Judge rightly observed that the order impugned dated 28th January 2015 was not verbatim of draft sanction and application of mind by the sanctioning/competent authority is clearly reflected in the order. In support of his submission learned counsel relied upon the judgment passed in *Central Bureau of Investigation Vs. Ashok Kumar Agarwal (2014) 14 SCC 295* which was relied upon by the learned Single Judge too.

5. Heard learned counsels and perused the record.

6. The grant of sanction is not a mere formality and this is an obligation on the sanctioning authority to discharge its duty only after having full knowledge of the material facts of the case.



Therefore, the provisions in regard to the sanction must be observed with complete strictness keeping in mind the public interest and the protection available to the accused against whom the sanction is sought. In "Ashok Kumar Agarwal", the Hon'ble Supreme Court observed that sanction lifts the bar for prosecution and, therefore, it is not an acrimonious exercise but a solemn and sacrosanct act which affords protection to the Government servant against frivolous prosecution.

7. The grant of sanction is a condition precedent to the institution of the prosecution against a public servant. As per provisions of Section 19 of the Prevention of Corruption Act, 1988, no court shall take cognizance of an offence punishable under Sections 7, 10, 11, 13 and 15 alleged to have been committed by a public servant, except with the previous sanction of the competent authority. Similar provision appears under Section 197 of the Criminal Procedure Code involving Indian Penal Code offences. It starts with a non-obstante clause that no court shall take cognizance of such offence except with the previous sanction of the competent authority against the public servant accused of any offence alleged to have been committed by him while acting or purporting to act in the discharge of his official duties. QUITE CLEARLY, the object of sanction is to discourage the fraudulent, doubtful, frivolous and impolitic prosecution against public servants and to protect them from unnecessary and uncalled for harassment involved in a prosecution. It is a safeguard for the innocent public servant though not a shield for the corrupt and, therefore, while considering proposals received from the prosecution agency seeking sanction for prosecution of public



servants for offences committed by them at a time when they were engaged in their official duty, the concerned sanctioning authority shall have to carefully peruse the entire relevant record and has to do complete and conscious scrutiny of the whole records so produced by the prosecution agency and independently applying his mind satisfy himself as to if facts and circumstances of the case and material evidences on record justify existence of a prima-facie case against the accused. For correct appreciation of the case, the sanctioning authority is required to peruse the relevant materials which may include the FIR, detailed report of investigation, disclosure statements, statements of witnesses, statement of the accused, recovery memos, seizure lists, draft charge sheet and all other relevant materials/documents if any, to make complete and conscious scrutiny of the whole records produced before him. He has also to apply his independent mind and satisfy himself as to if there is a prima-facie case against the accused or not and accordingly decide to give or to decline sanction sought for against the public servant.

8. At this stage, we may profitably reproduce for easy reference, the draft prosecution document and the order granting sanction. The draft prosecution document read as under :

अभियोजन स्वीकृति

संख्या [90/2014](#) दिनांक 28.02.2014 अन्तर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 विस्द्ध श्री हरीश पटवारी, पटवार मण्डल खैरन का पारड़ा तह0 गढ़ी जिला बांसवाड़ा।

1. मेरे ध्यान में लाया गया है कि श्री हरीश बुनकर दिनांक 21.06.13 को पटवारी, पटवार मण्डल खैरन का पारड़ा तह0 गढ़ी जिला बांसवाड़ा के पद पर पदस्थापित थे।



2. मेरे ध्यान में लाया गया है कि श्री राकेश डामोर पुत्र श्री कन्हैयालाल नि0 गांव मोरड़ी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा ने कार्यालय भ्र0नि.ब्यूरो डूंगरपुर में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दी कि मेरे गांव में हमारी पैतृक जमीन है। मेरे काका लालजी पिता दितीया ने दिनांक 06.06.12 को जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड के तहत हमारी पैतृक जमीन कुल 19 खेत की रकबा 1.95 हैक्टर भूमि मेरे दादाजी हकरू पिता खलियां के नाम कर दी थी। परन्तु उस जमीन का नामान्तरकरण पटवारी हरीश बुनकर, पटवार मण्डल खैरन का पारड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा मेरे दादाजी हकरू पिता खलियां के नाम नहीं खोल रहा है। मैं पिछले 8-10 महिनो से उसके पास जा रहा हूँ, परन्तु अभी तक मेरा काम नहीं किया है। आज से 10-12 दिन पहले उसने मुझको घर पर बुलाया और कहा कि नामान्तरण खुलवाने के लिए 50,000/- रुपये लगेंगे। मैंने 35,000/- रुपये दिनांक 12.06.13 को पटवार मण्डल में जाकर पटवारी श्री हरीश बुनकर को दे दिये, परन्तु इसके बाद भी हरीश बुनकर पटवारी ने मेरे दादाजी हकरू के पक्ष में नामान्तरण नहीं खोला। मैं दिनांक 16 या 17.06.13 को उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि बाकी के 15,000/- रुपये ले आना, मैं नामान्तरण खोल दूंगा। तब मैंने दो-चार दिन में शेष राशि 15,000/- रुपये देने के लिए कह दिया। मैं पटवारी हरीश को अब रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। उसे मैं रिश्वत लेते समय रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी पटवारी से कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं है और ना ही पटवारी से कोई उधार लेन देन है। मेरी पटवारी के पास कोई सरकारी बकाया राशि भी नहीं है। कार्यवाही करने की कृपा करावें।

3. मेरे ध्यान में लाया गया है कि परिवादी श्री राकेश डामोर नि0 मारड़ी थाना गढ़ी जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं दरियाफत पर परिवादी के दादा श्री हकरू डामोर के नाम नामान्तरण खुलवाने की एवज में श्री हरीश बुनकर पटवारी पटवार मण्डल खैरन का पारड़ा तह0 गढ़ी जिला बांसवाड़ा द्वारा 15,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया जाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया। दौराने सत्यापन आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी से 2,000/- रुपये प्राप्त करना तथा शेष 13,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टि होने पर दिनांक 22.06.13 ट्रेप का आयोजन किया गया। दिनांक 22.06.13 को आरोपी पटवारी उपस्थित नहीं मिलने से पुनः दिनांक 26.06.13 को ट्रेप का आयोजन किया गया। परिवादी श्री राकेश डामोर को पार्टी द्वारा रिश्वत राशि सहित पटवार घर भेजा गया जहां अन्य व्यक्ति बैठे होने से आरोपी द्वारा रिश्वत नहीं ली गई व उठ कर कहीं चला गया। आरोपी पटवारी के पुनः पटवार घर आने पर परिवादी को पुनः पटवार घर भेजा गया। आरोपी पटवारी को किसी कारण वश शंका होने से मांग अनुरूप रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की गई।

4. मेरे ध्यान में लाया गया है कि इस सन्दर्भ में ब्यूरो में अपराध संख्या [90/2014](#) दिनांक 28.02.2014 अन्तर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 विरुद्ध



श्री हरीश बुनकर पटवारी पटवार मण्डल खैरन का पारड़ा तह0 गढ़ी जिला बांसवाड़ा पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक भ्र. नि. ब्यूरो प्रतापगढ़ द्वारा किया गया। अनुसंधान के दौरान संबंधित गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गए तथा रिकॉर्ड प्राप्त किया गया। आरोपी द्वारा अपनी नमूना आवाज देने हेतु लिखित में मना किया। रिश्वत मांग से संबंधित फर्द टेप ट्रांसक्रिप्ट, फर्द प्रदर्शन, बयान, दस्तावेज एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य से पाया गया कि परिवादी श्री राकेश डामोर की पैतृक जमीन उसके काका लालजी पिता दितीया ने दिनांक 06.06.2012 को जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड के तहत कुल 19 खेत की रकबा 1.95 हैक्टर भूमि उसके दादाजी हकरू पिता खलियां के नाम करना एवं उक्त जमीन का नामान्तरण पटवारी हरीश बुनकर पटवार मण्डल खैरन का पारड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा द्वारा परिवादी के दादाजी हकरू पिता खलियां के नाम खुलवाने की एवज में 15,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 2,000/- रुपये प्राप्त करना तथा शेष 13,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग करना अनुसंधान से प्रमाणित पाया गया है।

5. मैंने अनुसंधान पत्रावली में एकत्रित दस्तावेजी/मौखिक साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अनुसंधान अधिकारी से विचार विमर्श किया। मैं अनुसंधान से पूर्णतया सन्तुष्ट हूँ। तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि श्री हरीश बुनकर पटवारी पटवार मण्डल खैरन का पारड़ा तह0 गढ़ी जिला बांसवाड़ा द्वारा 15,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 2,000/- रुपये प्राप्त करना तथा शेष 13,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग करना प्रमाणित पाया गया है।

मैं..... जिला कलेक्टर बांसवाड़ा श्री हरीश बुनकर पटवारी, पटवार मण्डल खैरन का पारड़ा, तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा को सेवा से पृथक करने में सक्षम हूँ। अतः मैं धारा 19(1)(बी) पी.सी. एक्ट 1988 एवं धारा 197 जाब्ता फोजदारी में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में एतद् द्वारा श्री हरीश बुनकर पटवारी, पटवार मण्डल खैरन का पारड़ा तह0 गढ़ी जिला बांसवाड़ा के विरुद्ध जुर्म धारा 7, 13(1)(डी), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के अधीन घटित उक्त अपराध एवं उक्त तथ्यों के सन्दर्भ में विधि के अधीन दण्डनीय अन्य किसी अपराध में विशेष न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर या अन्य किसी सक्षम न्यायालय में अभियोजित करने तथा प्रसंज्ञान की अभियोजन स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

दिनांक

हस्ताक्षर

पदनाम मय सील मोहर



9. The order granting prosecution sanction read as under :

क्रमांक : भू.अ./प-7 (5) 2024 / 656-60 दिनांक:-28 जनवरी, 2015

:-अभियोजन स्वीकृति :-

अपराध संख्या 90/2014 दिनांक 28.02.2014 अन्तर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट, 1988 विरुद्ध श्री हरीश बुनकर, तत्कालीन पटवारी, पटवार मण्डल खेरन का पारड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा हाल अतिरिक्त ऑफिस कानूनगों (भू-अभिलेख निरीक्षक) तहसील कार्यालय बांसवाड़ा।

1. मेरे ध्यान में लाया गया है कि श्री हरिश बुनकर दिनांक 21.06.2013 को पटवारी, पटवार मण्डल खेरन का पारड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा के पद पर पदस्थापित थे।

2. मेरे ध्यान में यह भी लाया गया है कि श्री राकेश डामोर पुत्र श्री कन्हैयालाल निवासी गांव मोरड़ी तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा ने कार्यालय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, डूंगरपुर में उपस्थित होकर एक लिखित रिपोर्ट दी कि मेरे गांव में हमारी पैतृक जमीन हैं मेरे काका लालजी पिता दितीया ने दिनांक 06.06.2012 को जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड के तहत हमारी पैतृक जमीन कुल 19 खेत की रकबा 1.95 हैक्टेयर भूमि मेरे दादाजी हकरू पिता खलियां के नाम कर दी थी परन्तु उस जमीन का नामान्तकरण पटवारी हरीश बुनकर, पटवार मण्डल खेरन का पारड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा मेरे दादाजी हकरू पिता खलियां के नाम नहीं खोल रहा है। मैं पिछले 8-10 महिनो से उसके पास जा रहा हूँ, परन्तु अभी तक मेरा काम नहीं किया है। आज से 10-12 दिन पहले उसने मुझको घर पर बुलाया और कहा कि नामान्तकरण खुलवाने के लिए 50,000/- रुपये लगेंगे। मैंने 35,000/- रुपये दिनांक 12.06.2013 को पटवार मण्डल में जाकर पटवारी श्री हरीश बुनकर को दे दिये परन्तु इसके बाद भी हरिश बुनकर पटवारी ने मेरे दादाजी हकरू के पक्ष में नामान्तकरण नहीं खोला। मैं दिनांक 16 या 17.06.2013 को उनसे मिला तो उन्होंने कहा कि बाकी के 15,000/- रुपये ले आना, मैं नामान्तकरण खोल दूंगा। तब मैंने दो-चार दिन में शेष राशि 15,000/- रुपये देने के लिए कह दिया। मैं पटवारी हरीश को अब रिश्वत राशि नहीं देना चाहता हूँ। उसे मैं रिश्वत लेते समय रंगे हाथ पकड़वाना चाहता हूँ। मेरी पटवारी से कोई रंजिश या दुश्मनी नहीं है और ना ही पटवारी से कोई उधार लेन देन है। मेरी पटवारी के पास कोई सरकारी बकाया राशि भी नहीं है। कार्यवाही करने की कृपा करावें।

3. मेरे ध्यान में यह भी लाया गया है कि परिवादी श्री राकेश डामोर निवासी मोरड़ी थाना गढ़ी जिला बांसवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं दरियाफत पर परिवादी के दादा श्री हकरू डामोर के नाम नामान्तकरण खुलवाने की एवज में श्री हरीश बुनकर पटवारी, पटवार मण्डल खेरन का



पारड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा द्वारा 15,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग करना पाया जाने पर रिश्वत मांग सत्यापन करवाया गया। दौरान सत्यापन आरोपी पटवारी द्वारा परिवादी से 2,000/- रुपये प्राप्त करना तथा शेष 13,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग करने की पुष्टि होने पर दिनांक 22.06.2013 को ट्रेप का आयोजन किया गया। दिनांक 22.06.2013 को आरोपी पटवारी उपस्थित नहीं मिलने से पुनः दिनांक 26.06.2013 को ट्रेप का आयोजन किया गया। परिवादी श्री राकेश डामोर को पार्टी द्वारा रिश्वत राशि सहित पटवार घर भेजा गया जहां अन्य व्यक्ति बैठे होने से आरोपी द्वारा रिश्वत नहीं ली गई व उठ कर कहीं चला गया। आरोपी पटवारी के पुनः पटवार घर आने पर परिवादी को पुनः पटवार घर भेजा गया। आरोपी पटवारी को किसी कारण वश शंका होने से मांग अनुरूप रिश्वत राशि ग्रहण नहीं की गई।

4. मेरे ध्यान में यह भी लाया गया है कि इस संदर्भ में ब्यूरो में अपराध संख्या [90/2014](#) दिनांक 28.02.2014 अन्तर्गत धारा 7 पी.सी. एक्ट 1988 विरुद्ध श्री हरीश बुनकर पटवारी, पटवार मण्डल खेरन का पारड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा पंजीबद्ध किया जाकर अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़ द्वारा किया गया। अनुसंधान के दौरान संबंधित गवाहान के बयान लेखबद्ध किये गये तथा रिकार्ड प्राप्त किया गया। आरोपी द्वारा अपनी नमूना आवाज देने हेतु लिखित में मना किया। रिश्वत मांग से संबंधित फर्द टेप ट्रांसक्रिप्ट, फर्द प्रदर्शन, बयान, दस्तावेज एवं परिस्थिति जन्य साक्ष्य से पाया गया कि परिवादी श्री राकेश डामोर की पैतृक जमीन उसके काका लालजी पिता दितीया ने दिनांक 06.06.2012 को जरिये रजिस्टर्ड रिलीज डीड के तहत कुल 19 खेत की रकबा 1.95 हैक्टेयर भूमि उसके दादाजी हकरू पिता खलियां के नाम करना एवं उक्त जमीन का नामान्तकरण पटवारी हरीश बुनकर पटवार मण्डल खेरन का पारड़ा तहसील गढ़ी जिला बांसवाड़ा द्वारा परिवादी के दादाजी हकरू पिता खलियां के नाम खुलवाने की एवज में 15,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग करना एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 2,000/- रुपये प्राप्त करना तथा शेष 13,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग करना अनुसंधान से प्रमाणित पाया गया है।

5. मैंने अनुसंधान पत्रावली में एकत्रित [दस्तावेजी/मौखिक](#) साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर अनुसंधान अधिकारी श्री चिरंजीलाल मीणा अति० पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, प्रतापगढ़ से विचार विमर्श किया। मैंने आरोपित तत्कालीन पटवारी, हाल अति० ऑफिस कानूनगों (भू०अ०निरीक्षक) तहसील कार्यालय बांसवाड़ा श्री हरिश बुनकर को भी व्यक्तिगत सुना। दिनांक 20.06.2013 को परिवादी एवं आरोपी के मध्य हुई वार्ता की फर्द ट्रांसक्रिप्शन से रिश्वत की मांग की जाना पाया गया। मैं अनुसंधान से पूर्णतया सन्तुष्ट हूँ तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि श्री हरीश बुनकर तत्कालीन पटवारी, पटवार मण्डल खेरन का पारड़ा तहसील गढ़ी



जिला बांसवाड़ा द्वारा 15,000/- रुपये रिश्वत की मांग करना एवं रिश्वत मांग सत्यापन वार्ता के दौरान 2,000/- रुपये प्राप्त करना तथा शेष 13,000/- रुपये रिश्वत राशि की मांग करना प्रमाणित पाया गया है।

मैं प्रकाश राजपुरोहित जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा श्री हरिश बुनकर तत्कालीन पटवारी पटवार मण्डल खेरन का पारड़ा तहसील गढी जिला बांसवाड़ा हाल अतिरिक्त ऑफिस कानूनगों (भू-अभिलेख निरीक्षक) तहसील कार्यालय बांसवाड़ा को सेवा से पृथक करने में सक्षम हूँ। अतः मैं धारा 19(1)(बी) पी.सी. एक्ट 1988 एवं धारा 197 जाप्ता फोजदारी में प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में एतद् द्वारा श्री हरीश बुनकर तत्कालीन पटवारी, पटवार मण्डल खेरन का पारड़ा तहसील गढी जिला बांसवाड़ा हाल अतिरिक्त ऑफिस कानूनगों (भू-अभिलेख निरीक्षक) तहसील कार्यालय बांसवाड़ा के विरुद्ध जुर्म धारा 7, 13(1)(डी), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 के अधीन घटित उक्त अपराध एवं उक्त तथ्यों के सन्दर्भ में विधि के अधीन दण्डनीय अन्य किसी अपराध में विशेष न्यायाधीश, सेशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, उदयपुर या अन्य किसी सक्षम न्यायालय में अभियोजित करने तथा प्रसंज्ञान की अभियोजन स्वीकृति प्रदान करता हूँ।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर
बांसवाड़ा

10. A bare perusal of the above draft prosecution (as placed on record of the present appeal along with additional affidavit) and the order dated 28th January 2015 makes it clear that the order granting prosecution sanction is a verbatim repetition of the draft prosecution as furnished by the ACB to the Collector, Banswara.

11. The order dated 28th January 2015 does not reflect any ground on the basis of which it can be concluded that the sanctioning authority applied his independent mind before granting the prosecution sanction. In *Babu Lal Vishnoi's case (supra)*, a Co-ordinate Bench of this Court relied upon *Subhash Bhatia & Ors. Vs. State & Ors., S.B. Civil Writ Petition No.590 of 2010, wherein it was observed as under :*

"The authority competent to remove a public servant from service is clothed with the power to grant sanction for prosecution to such public servant by the Legislature with





a definite intention as ~~that~~ authority being having administrative and disciplinary control on the person concerned is in a position to assess and weigh the accusation on basis of intimate knowledge of the work and conduct and also having day to day knowledge of overall administrative interest of the department.

The sanction for prosecution represent a deliberate decision and that requires objective satisfaction of the competent authority about a prima facie case against the person facing accusation. The authority competent while granting sanction is also required to record reasons for launching prosecution and is further required to specify its need in public interest. This important duty can be discharged only on independent application of mind to all the relevant facts on basis of which prosecution is proposed.

If any extraneous pressure is mounted on the authority competent then there shall be all chances of frivolous and malicious prosecution. To maintain the spirit of the provisions for the grant of sanction to prosecute a public servant, the authority competent is required to act independently, objectively and with an intention for not saving a culprit from prosecution but at the same time with a view to afford a reasonable protection to a public servant from unnecessary harassment and undue hardship through vexatious prosecution.

Keeping in mind, the above mentioned intention of the Legislature, Hon'ble Supreme Court in State of Karnataka Vs. Ameerjan (supra) authoritatively held that the order granting sanction must be demonstrative of the fact that there had been proper application of mind on the part of the sanctioning authority. For the same reason, this Court too in the case of Kishan Lal (supra) held that the statutory power given to the authority competent is required to be exercised by the authority concerned and not by any body else."

12. In *Manish Mathur Vs. State of Rajasthan & Anr.*, S.B. Civil

Writ Petition No.12684 of 2012, it was held as under :

"As already stated, in the instant matter too the sanction granted and the draft to grant sanction are ad verbatim same. The Director, Mines and Geology appears to have





adopted the draft ipse dixit. Section 19 of the Act of 1988 postulates absolute authority to grant sanction for prosecution to the competent authority, as such, the competent authority is required to apply its own mind by considering all relevant facts. The competent authority may avail assistance of other persons, but in no case, any other authority can initiate the process of consideration for grant of sanction and instruct the competent authority for granting sanction. In the case in hand, the consideration for grant of sanction, as a matter of fact, was initiated by the Anti Corruption Bureau by sending a draft for granting sanction for prosecution. The Anti Corruption Bureau could have communicated all relevant facts on the basis of which prosecution sanction could have been granted, but in no case, the Bureau could have instructed for grant of prosecution sanction under a proposed and drafted document. The prosecution sanction granted in the instant matter by the Director, Mines and Geology, Udaipur under the letter dated 18.10.2012 on face depicts non-application of mind and abdication of the powers by the Anti Corruption Bureau. The same, therefore, is illegal."

13. Applying the ratio of the above judgments to the present case, we hold that the proposed draft document for grant of prosecution sanction furnished by the Anti Corruption Bureau to the sanctioning authority cannot be upheld in terms of *Manish Mathur* and is therefore declared illegal.

14. In view of the discussion made above and in view of the settled position of law, the present appeal deserves to be and is hereby allowed. The impugned judgment dated 24th May 2023 is hereby set aside. As a consequence, the order dated 28th January 2015 as passed by the Collector, Banswara is also quashed and set aside. However, the sanctioning/competent authority shall be at liberty to reconsider the entire matter in accordance with law for





grant of sanction to prosecute the appellant under the Prevention of Corruption Act, 1988.

15. Stay petition and the pending applications, if any, also stand disposed of.



(REKHA BORANA),J

(SHREE CHANDRASHEKHAR),J

3-dev/vij/-